भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3484

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

बजट आवंटन

3484. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितना बजट आवंटन किया गया है;

(ख) इन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और दिव्यांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण योजना जैसी योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है; और

(ग) लाभार्थियों तक पहुंच और कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के विशेष संदर्भ में इन बजट आवंटनों का इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाग-वार बजट आवंटन नीचे दिया गया है:

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग</u>

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**
2021-22	10,517.62
2022-23	11,922.51
2023-24	12,847.02

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान
2021-22	1,171.77
2022-23	1,212.42
2023-24	1,225.15

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजना के अंतर्गत आवंटित बजट का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**एनएसएपी का बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)**	**आईजीएनडीपीएस (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना) का बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)**
2021-22	9,200.00	297.37
2022-23	9,652.31	290.00
2023-24	9,636.32	289.96

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की चार योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं का बजट आवंटन नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

योजना का नाम	**बजट आवंटन (बीई)**		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
दिव्यांगजनों को सहायता उपकरणों/जीवन सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी योजना)	220.00	235.00	245.00
दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	125.00	125.00	130.00
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (एसआईपीडीए)	209.77	240.39	150.00
दिव्यांग छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	125.00	105.00	155.00

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय एनएसएपी का संचालन करता है। एनएसएपी के तहत परिकल्पित उद्देश्य देश भर में बीपीएल श्रेणी से संबंधित लाभवंचित और कमजोर वर्ग के नागरिकों जैसे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को बुनियादी स्तर की सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है। एनएसएपी के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता लाभार्थियों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रही है। एनएसएपी गरीबी को कम करने और कमजोर समूहों जैसे वृद्धजनों, महिलाओं और दिव्यांगजनों तथा आम जनता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्न हितधारकों: संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के बीच निकट समन्वय स्थापित करना शामिल है। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विभाग की योजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्य वास्तविक पुनर्वास हैं, जिसमें शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा उपयुक्त सहायक उपकरण खरीदने में सहायता और व्यावसायिक शिक्षा तथा आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण सहित शैक्षिक पुनर्वास प्रदान करना शामिल है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपरोक्त प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है।

****